राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.11(8)नविवि/2020 पार्ट–13397 **जयपुर, दिनांकः यथा–हस्ताक्षरित**

<u>परिपत्र</u>

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 14.10.2024 के अनुसार, DPCR के अनुसार संभागीय मुख्यालय के अलावा अन्य शहरों में 18 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सडकों के दोनों ओर उल्लेखित प्रतिबंधित उपयोगों को छोड़कर अन्य भू उपयोगों में सड़क की चौड़ाई का डेढ़ गुना अथवा एकल संपत्ति की गहराई तक, जो भी कम हो तक मिश्रित भू उपयोग अनुमत किया गया है।

DPCR **के प्रावधान स्पष्ट है कि यदि निर्धारित (न्यूनतम 18 मीटर) चौड़ाई की सड़क उपलब्ध नहीं है तो ऐसे प्रकरण में मिश्रित भू–उपयोग अनुमत नहीं किया जा सकता।**

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
6. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/भरतपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
10. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त ———————————————।
11. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :18-12-2025 05:53:36

RajKaj Ref No.: 19058721

eSign DSC